



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102022-239782
CG-DL-E-21102022-239782

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4725]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 2022/आश्विन 27, 1944

No. 4725]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022/ASVINA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4937(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1192(अ), दिनांक 03.12.2001 और का. आ. 465 (अ), दिनांक 26.04.2022 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के नागपुर-हैदराबाद खंड के 36.600 कि.मी. से 64.000 कि.मी. 0.000 कि.मी. से 9.200 कि.मी. और 64.000 कि.मी. से 175.640 कि.मी. तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा यांत्रिक वाहनों पर खण्डों के उपयोग के लिए शुल्क उदग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण को निम्नानुसार प्राधिकृत किया:

अधिसूचना संख्या का.आ. 3839 (अ) दिनांक 24.10.2019 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-44 के किमी 36+600 से किमी 174+750 के खंड हेतु।

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 के 36+600 कि.मी. से 174+750 कि.मी., लंबाई-138.400 कि.मी. (प्रति कि.मी. स्टोन के अनुसार) और 138.150 कि.मी. (साइट की वास्तविक लंबाई के अनुसार) बोरखेडी-वाडनेर-देवधारी-केलापुर खण्ड तक (जिसे इसके पश्चात 'उक्त खण्ड' कहा गया है) के टोलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (इनविट विधि) हेतु 24.09.2022 को राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा प्रो. प्रा. लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, भारत, 110075 (जिसे इसके पश्चात 'रियायतग्राही' कहा गया है) के साथ करार (जिसे इसके पश्चात 'करार' कहा गया है) किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 [सा.का.नि. 838 (ई), तारीख 5.12.2008] के नियम 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2010 [सा.का.नि.950(ई), तारीख 03.12.2010], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि. 15 (ई), तारीख 12.01.2011] राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि. 756 (ई), तारीख 12.10.2011], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013 [सा.का.नि. 778 (ई), तारीख 16.12.2013], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 26 (ई), तारीख 16.01.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 831 (ई), तारीख 21.11.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 02(ई), तारीख 29.12.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 [सा.का.नि. 220 (ई), तारीख 23.03.2015], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 585 (ई), तारीख 08.06.2016], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 1114(ई), तारीख 02.12.2016], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2017 [सा.का.नि. 248(ई), तारीख 14.03.2017], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 427(ई), तारीख 07.05.2018], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 920(ई), तारीख 25.09.2018], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2019 [सा.का.नि. 942(ई), तारीख 20.12.2019], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 298(ई), तारीख 15.05.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 523(ई), तारीख 24.08.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 804(ई), तारीख 30.12.2020] के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और करार की अंतिम तारीख तक किसी अन्य संशोधनों और अधिसूचना का.आ. 3839 (ई) दिनांक 24.10.2019 का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कर ली गई हैं या करने से लोप करा दी गई हैं, उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर व्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि यांत्रिक वाहनों पर, सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 155.2320 कि.मी. [जिसमें 136.2520 कि.मी. की सड़क और 1.8980 कि.मी. की सरचनाएं शामिल हैं (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और जिसकी समकक्ष लम्बाई 18.980 कि.मी. है] (निर्माण अवधि के दौरान) चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है), नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्धृत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को कार्यारंभ करने की तारीख को तथा उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क

संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है। यह शुल्क अधिसूचना टीओटी परियोजना पर कार्यारंभ करने की तारीख से प्रभावी होगी:—

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम ^०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के विनिर्दिष्ट दूरी पर शोध्य और संदेय होगा:

क्रम सं.	शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	निर्माण अवधि के दौरान लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	बड़े पुल के निर्माण के बाद लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1.	महाराष्ट्र राज्य (36+600 कि.मी. से 104+550 कि.मी. तक) में दारोड शहर के निकट एनएच-44 (पुराना एनएच-7) पर 92+500 कि.मी. पर	66.6026 कि.मी. [नीचे पैरा 2 में दर्शाई गई 1.3474 कि.मी. लंबाई की संरचना को छोड़कर]	66.5910 कि.मी. [नीचे पैरा 2 में दर्शाई गई 1.3590 कि.मी. लंबाई की संरचना को छोड़कर]	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2.	* महाराष्ट्र राज्य (104+550 कि.मी. से 175+000 कि.मी. तक) (प्रारंभिक) एवं 174.750 कि.मी. (वर्तमान) में केलापुर गांव के निकट एनएच-44 (पुराना एनएच-7) पर 150+000 कि.मी. पर	69.6494 कि.मी. [नीचे पैरा 2 में दर्शाई गई 0.5506 कि.मी. लंबाई की संरचना को छोड़कर]		ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
3.	महाराष्ट्र राज्य (104+550 कि.मी. से 175+000 कि.मी. तक) (प्रारंभिक) एवं 174.750 कि.मी. (वर्तमान) में एनएच-44 (पुराना एनएच-7) पर 156+650 कि.मी. पर		69.6494 कि.मी. [नीचे पैरा 2 में दर्शाई गई 0.5506 कि.मी. लंबाई की संरचना को छोड़कर]	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

* अनुसूची-बी में दी गई पूर्णता अनुसूची के अनुसार 156+650 पर नए टोल प्लाजा का निर्माण होने तक मौजूदा टोल प्लाजा (किमी 150+000) पर टोल एकत्र किया जाएगा। बाद में टोल नए टोल प्लाजा (156+650 किमी) पर एकत्र किया जाएगा।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	* निर्माण अवधि के दौरान		* * बड़े पुल के निर्माण एवं निर्माण अवधि के बाद		दर जिस पर शुल्क संदेय है
	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	
महाराष्ट्र राज्य (36+600 कि.मी. से 104+550 कि.मी. तक) में दारोड शहर के निकट एनएच-44 (पुराना एनएच-7) पर 92+500 कि.मी. पर	1.3474	13.474	1.3590	13.590	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
महाराष्ट्र राज्य (104+550 कि.मी. से 175+000 कि.मी. तक) (प्रारंभिक) एवं 174.750 कि.मी. (वर्तमान) में केलापुर गांव के निकट एनएच-44 (पुराना एनएच-7) पर 150+000 कि.मी. पर	0.5506	5.506			ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
महाराष्ट्र राज्य (104+550 कि.मी. से 175+000 कि.मी. तक) (प्रारंभिक) एवं 174.750 कि.मी. (वर्तमान) में केलापुर गांव के निकट एनएच-44 (पुराना एनएच-7) पर 156+650 कि.मी. पर			0.5506	5.506	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

* 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(i) वर्धा जिले के दारोड गांव के निकट एनएच-44 पर किमी 92+500 पर

क्रम सं.	संरचना का अवस्थान (कि.मी. में)	कुल लंबाई (मीटर में)	
		एलएचएस	आरएचएस
1	49+770 कि.मी. पर बड़ा पुल	320	320
2	58+555 कि.मी. पर बड़ा पुल	100	100
3	79+520 कि.मी. पर बड़ा पुल	219	219
4	80+154 कि.मी. पर बड़ा पुल	66	66
5	76+371 कि.मी. पर आरओबी	87.34	87.34
6	77+855 कि.मी. पर फ्लाईओवर	555.05	555.05
कुल लंबाई (मीटर)		1347.39	1347.39
औसत लंबाई (मीटर)		1347.39	
कुल लंबाई (कि.मी.)		1.34739, अर्थात् 1.3474	

(ii) यवतमाल जिले के केलापुर गांव के निकट एनएच-44 पर किमी 150+000 पर

क्रम सं.	संरचना का अवस्थान (कि.मी. में)	कुल लंबाई (मीटर में)	
		एलएचएस	आरएचएस
1	132+670 कि.मी. पर फ्लाईओवर	63.04	63.04
2	139+465 कि.मी. पर फ्लाईओवर	0	63.04
3	109+770 कि.मी. पर बड़ा पुल	191	191
4	141+095 कि.मी. पर बड़ा पुल	63	63
5	149+640 कि.मी. पर बड़ा पुल	126	126
6	160+337 कि.मी. पर बड़ा पुल	76	76
कुल लंबाई (मीटर)		519.04	582.08
औसत लंबाई (मीटर)		550.56	
कुल लंबाई (कि.मी.)		0.55056, अर्थात् 0.5506	

** 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(i) वर्धा जिले के दारोड गांव के निकट एनएच-44 पर किमी 92+500 पर

क्रम सं.	संरचना का अवस्थान (कि.मी. में)	कुल लंबाई (मीटर में)	
		एलएचएस	आरएचएस
1	49+770 कि.मी. पर बड़ा पुल	320	320
2	58+555 कि.मी. पर बड़ा पुल	100	100
3	79+520 कि.मी. पर बड़ा पुल	242.2	219
4	80+154 कि.मी. पर बड़ा पुल	66	66
5	76+371 कि.मी. पर फ्लाईओवर	87.34	87.34
6	77+855 कि.मी. पर फ्लाईओवर	555.05	555.05
कुल लंबाई (मीटर)		1370.590	1347.39
औसत लंबाई (मीटर)		1358.99	
कुल लंबाई (कि.मी.)		1.35899, अर्थात् 1.3590	

(ii) यवतमाल जिले के केलापुर गांव के निकट एनएच-44 पर किमी 156+650 पर

क्रम सं.	संरचना का अवस्थान (कि.मी. में)	कुल लंबाई (मीटर में)	
		एलएचएस	आरएचएस
1	132+670 कि.मी. पर फ्लाईओवर	63.04	63.04
2	139+465 कि.मी. पर फ्लाईओवर	0	63.04
3	109+770 कि.मी. पर बड़ा पुल	191	191
4	141+095 कि.मी. पर बड़ा पुल	63	63
5	149+640 कि.मी. पर बड़ा पुल	126	126
6	160+337 कि.मी. पर बड़ा पुल	76	76
कुल लंबाई (मीटर)		519.04	582.08
औसत लंबाई (मीटर)		550.56	
कुल लंबाई (कि.मी.)		0.55056, अर्थात् 0.5506	

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	भुगतान की दिनांक से एक माह

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को निम्नानुसार बराबर शुल्क का भुगतान करना।

अधिकतम अनुमेय सकल वाहन भार से अधिक भार का प्रतिशत	गुणक को आधार दर से गुणा करना	शुल्क
(1)	(2)	(3)
0% से 20%	दो	[(नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत यांत्रिक वाहन की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क x (गुणक कारक)]
>20% से 40%	चार	
>40% से 60%	छह	
>60% से 80%	आठ	
>80% और अधिक	दस	

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, प्रयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात् रियायत करार के प्रावधान एवं उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, बशर्ते कि शुल्क के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर कोई संशोधन प्रभावी नहीं होगा।

[फा. सं. एनएचआई/एचक्यू/ईनवीत/टोलफी अधिसूचना/22-23/02]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2022

S.O. 4937(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. No. 1192 (E) dated 03.12.2001 and S.O. No. 465 (E) dated the 26.04.2002, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km 36.600 to Km 64.000, Km 0.000 to Km 9.200 and Km 64.000 to Km 175.640 of Nagpur-Hyderabad section of National Highway No. 7 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

Vide S.O. No. 3839 (E) dated 24.10.2019 for the section from km 36+600 to km 174+750 of NH-44 in the State of Maharashtra.

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with National Highways Infra Projects Private Limited, having its registered office at G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, Delhi, South West Delhi, Delhi, India, 110075 (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), on 24.09.2022 for the Tolling, Operation, Maintenance and transfer (InvIT) of Borkhedi-Wadner-Deodhari-Kelapur Section from km 36+600 to Km 174+750, length- 138.400 km (as per km stone) and 138.150 km (as per actual length at site) of NH-44 in the state of Maharashtra (hereinafter referred to as the said section) of the National Highway;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 [GSR 838 (E) dt. 05.12.2008] read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010 [GSR 950(E) 03.12.2010], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011 [GSR 15(E) 12.01.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011 [GSR 756 (E) 12.10.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013 [GSR 778(E) 16.12.2013], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 26(E) 16.01.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 831(E) 21.11.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 02(E) 29.12.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2015 [GSR 220(E) 23.03.2015], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 585(E) 08.06.2016], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 1114(E) 02.12.2016], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2017 [GSR 248(E) 14.03.2017], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 427(E) 07.05.2018], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 920(E) 25.09.2018], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2019 [GSR 942(E) 20.12.2019], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 298(E) 15.05.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 523(E) 24.08.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 804(E) 30.12.2020], and any other amendments till date of agreement and in supersession of the Notification Number S.O. No. 3839(E) dated 24.10.2019 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement entered between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for total equivalent road length of 155.2320 km [including 136.2520 km road and 1.8980km of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 18.980 km](during construction period) and for total equivalent road length of 155.3364 km [including 136.2404 km road and 1.9096 km of structures(having length more than 60m) with equivalent length of 19.096 km] (after completion of major bridge) for use of four and more lane sections (hereinafter referred to as “base rate”) on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the Appointed Date or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the date of termination as specified in the agreement. This fee notification shall be effective from the Appointed Date of the ToT project.

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km* for NH section of four or more lanes for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plazas for the distance specified for such Fee Plazas :

Sl. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	During Construction Period	After Construction of Major Bridge	Rate at which Fee is payable
		Length (in km) for which Fee is payable	Length (in km) for which Fee is payable	
1.	At Km 92+500 on NH 44 (old NH-7) near Daroda town in Maharashtra state (from Km 36+600 to Km 104+550)	66.6026 km [excluding 1.3474 km length of structures indicated in Para-2 below]	66.5910 km [excluding 1.3590 km length of structures indicated in Para-2 below]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2.	*At Km 150+000 on NH 44 (old NH-7) near Kelapur village in Maharashtra State (from Km 104+550 to Km 175+000) (initial) & km. 174.750 (current)	69.6494 km [excluding 0.5506 km length of structures indicated in Para-2 below]		100% of the base rates mentioned in Table-1 above
3.	At Km 156+650 on NH 44 (old NH-7) in Maharashtra State (from Km 104+550 to Km 175+000) (initial) & km. 174.750 (current)		69.6494 km [excluding 0.5506 km length of structures indicated in Para-2 below]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

*Toll shall be collected at the existing Toll Plaza (km 150+000) till new Toll Plaza constructed at 156+650 as per completion Schedule given in Schedule-B. Afterwards Toll shall be collected at new Toll Plaza (km 156+650).

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	*During Construction Period		**After Construction Period & Construction of Major Bridge		Rate at which Fee is payable
	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	
At Km 92+500 on NH 44 (old NH-7) near Daroda town in Maharashtra state (from Km 36+600 to Km 104+550)	1.3474	13.474	1.3590	13.590	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

At Km 150+000 on NH 44 (old NH-7) near Kelapur village in Maharashtra State (from Km 104+550 to Km 175+000)	0.5506	5.506			100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 156+650 on NH 44 (old NH-7) near Kelapur village in Maharashtra State (from Km 104+550 to Km 175+000)			0.5506	5.506	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

*The details of structures (> 60 m length) are as under:

(i) At km 92+500 on NH-44 near Daroda village in Wardha district

Sl. No.	Location of Structure (at km)	Total Length (in mtr.)	
		LHS	RHS
1	Major Bridge at Km 49+770	320	320
2	Major Bridge at Km 58+555	100	100
3	Major Bridge at Km 79+520	219	219
4	Major Bridge at Km 80+154	66	66
5	ROB at Km 76+371	87.34	87.34
6	Flyover at Km 77+855	555.05	555.05
Total Length (m)		1347.39	1347.39
Average Length (m)		1347.39	
Total Length (Km)		1.34739, Say 1.3474	

(ii) At km 150+000 on NH-44 near Kelapur village in Yavatmal district

Sl. No	Location of Structure (at km)	Total Length (in mtr.)	
		LHS	RHS
1	Flyover at Km 132+670	63.04	63.04
2	Flyover at Km 139+465	0	63.04
3	Major Bridge at Km 109+770	191	191
4	Major Bridge at Km 141+095	63	63
5	Major Bridge at Km 149+640	126	126
6	Major Bridge at Km 160+337	76	76
Total Length (m)		519.04	582.08
Average Length (m)		550.56	
Total Length (Km)		0.55056, Say 0.5506	

**The details of structures (> 60 m length) are as under:

(i) At km 92+500 on NH-44 near Daroda village in Wardha district

Sl. No	Location of Structure (at km)	Total Length (in mtr.)	
		LHS	RHS
1	Major Bridge at Km 49+770	320	320
2	Major Bridge at Km 58+555	100	100
3	Major Bridge at Km 79+520	242.2	219
4	Major Bridge at Km 80+154	66	66
5	ROB at Km 76+371	87.34	87.34
6	Flyover at Km 77+855	555.05	555.05
Total Length (m)		1370.590	1347.39
Average Length (m)		1358.99	
Total Length (Km)		1.35899, say 1.3590	

(ii) At km 156+650 on NH-44 near Kelapur village in Yavatmal district

Sl. No	Location of Structure (at km)	Total Length (in mtr.)	
		LHS	RHS
1	Flyover at Km 132+670	63.04	63.04
2	Flyover at Km 139+465	0	63.04
3	Major Bridge at Km 109+770	191	191
4	Major Bridge at Km 141+095	63	63
5	Major Bridge at Km 149+640	126	126
6	Major Bridge at Km 160+337	76	76
Total Length (m)		519.04	582.08
Average Length (m)		550.56	
Total Length (Km)		0.55056, Say 0.5506	

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 315.00 (Rupees Three Hundred Fifteen only) for the year 2022-23 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the user fee collecting agency, equal to fee as follows.

Percentage of excess load over Maximum Permissible Gross Vehicular Weight	Multiplying Factor to the base rate	Fees
(1)	(2)	(3)
0% to 20%	Two	[(Fees applicable for such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule 4)x (Multiplying factor)]
>20% to 40%	Four	
>40% to 60%	Six	
>60% to 80%	Eight	
>80% and Above	Ten	

7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/HQ/InvIT/TollFeeNotification/22-23/02]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.